

नक-I
11/3/2011

राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर, दिनांक 1-3-2011

क्रमांक एफ. 11 (1) वन/78

आदेश

1985
3-3-11

इस विभाग के समसंख्यक पूर्व आदेश दिनांक 25.7.2005 का अधिलंघन करते हुये माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से, राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्रों के बाहर पालतू नवशियों को मारे जाने पर निम्नानुसार मुआवजा/एक्सप्रेसिया राशि का भुगतान किये जाने की दरों के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान कि जाती है।

जन श्रेणी

1. जनहानि होने पर	रु 2,00,000	(सक्षम अधिकारिता अधिकारी
2. स्थायी अयोग्य होने पर	रु 1,00,000	द्वारा इस आशय का प्रमाण
3. अस्थायी अयोग्य होने पर	रु 20,000	जारी होने कि शर्त पर)

पालतू नवशियों की श्रेणी

1. भैंस व बैल	रु 10,000
2. गाय	रु 5,000
3. भैंस व गाय का बच्चा	रु 2,000
4. बकरी/बकरा व भेड़	रु 1,000
5. ऊँट	रु 10,000
6. गधा/खच्चर	रु 1,000

यह मुआवजा/एक्सप्रेसिया संलग्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन देय होगा एवं निम्न मद से देय होगा:-

2406-बानिकी और वन्यजीवन, 02-पर्यावरण बानिकी ओर वन्य जीवन, 110-वन्य जीव परिरक्षण, 01 से 05 रणधम्भौर, सरिरका वन क्षेत्रों का संधारण, घना पक्षी, राष्ट्रीय मरु उद्यान, 16 लघु निर्माण कार्य (केन्द्रीय परिवर्तित योजना)।

उक्त राशि का भुगतान शत प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना मद में भारत सरकार से ए०पी०ओ० स्वीकृति के पश्चात राशि प्राप्त होने पर किया जाता था, परन्तु यदि ए०पी०ओ० स्वीकृति नहीं हुआ है, तो भी केन्द्रीय परिवर्तित योजना मद में शेष बची अनुपयोगी राशि में से भी भुगतान किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग के आई०डी० संख्या 171100210 दिनांक 25.2.2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(सी०एस० रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक राजस्थान।
6. समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, राजस्थान।
7. वित्त (व्यय-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर मुआवजा / एक्सग्रेसिया निम्न शर्तों के अध्याधीन देय होगा:-

जनहानि मामले में :-

1. घटना की सूचना निकटतम पुलिस अथवा वन अधिकारी को देनी होगी । जिसका निरीक्षण उनके द्वारा ही किया जावेगा ।
2. घटना के बारे में शासकीय चिकित्सक का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
3. प्राण हानि में मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
4. मृतक के परिवार के सदस्यों में से विधि मान्य उत्तराधिकारी को ही क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावेगी ।
5. यदि व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका उपचार सक्षम चिकित्सा अधिकारी करेंगे तथा प्रमाण पत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि देय होगी । घायल व्यक्ति स्वयं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
6. यह मुआवजा राशि ऐसे व्यक्ति को देय नहीं होगा जो हमले के समय वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत किसी अपराध करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रविष्ट हुआ था अथवा किसी स्थल पर वन्य प्राणी सम्बन्धी किसी नियम विरुद्ध कार्य में लिप्त था/सहायक था ।
7. मुआवजा/एक्सग्रेसिया राशि का पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जावेगा ।
8. मुआवजा/एक्सग्रेसिया राशि के भुगतान हेतु मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/उप निदेशक सक्षम होंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी की अभिराधा पर ही मुआवजा / एक्सग्रेसिया राशि देय होगी ।
9. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य में वैद्य रूप से निवास कर रहे तथा इनके आस-पास व बाहर रह रहे किसी ग्रामवासी को शेर, बघेरे या अन्य हिंसक वन्य जीव द्वारा मृत्यु व स्थायी/अस्थायी रूप से असमर्थ (Incapacitate) करने पर इस आदेश में दर्शायी गयी राशि देय होगी ।
10. मृत्यु/अयोग्य (स्थायी/अस्थायी) होने का सक्षम शासकीय चिकित्सक से प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

पशु हानि मामले में :-

1. घटना के 48 घंटों के अंदर सूचना निकटतम वन अधिकारी जो कि वनपाल या सहायक वनपाल से काग.स्तर का ना हां उनको मवेशी के मालिक द्वारा सूचना दिया जाना आवश्यक होगा ।
2. मारे गए मवेशी के शव को घटना स्थल से तब तक नहीं हटाया जावे जब तक घटना की जांच स्थानीय वन अधिकारी द्वारा नहीं कर ली जाती है तथा उसके मांस में किसी प्रकार का विष अथवा घातक पदार्थ नहीं मिलाया गया हो ।
3. अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र के बाहर मारे गये पशुओं को ही मुआवजा देय होगा । इस हेतु सक्षम पशु चिकित्सक का मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
4. मुआवजा राशि का पुनर्भरण बाद में केन्द्र सरकार द्वारा यथा संभव शत प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जावेगा ।
5. मुआवजा के भुगतान हेतु मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/उप निदेशक सक्षम होंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी की अभिराधा पर ही मुआवजा / एक्सग्रेसिया राशि देय होगी ।

13/11/11
शासन सचिव